न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-91/2010

1- राधेश्याम पुत्र हरचन्द
2- मनोहरलाल पुत्र राधेश्याम
जाति ब्राहम्ण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

--अपीलान्टस--

---बनाम---

1- नूर बानो पत्नी युसूफ खां जाति कायमखानी निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

2- विनोद
3- ओमप्रकाश
4- सुरेन्द्र
पुत्रगण भगवानदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

5- सीताराम पुत्र हरचन्द दत्तक पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर---- मृतक---

6- श्याम सुन्दर पुत्र राधेश्याम दत्तक पुत्र परसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर, राज0।

7- मृतक- मकबूल पुत्र भूरे खां जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0-

7/1-मृतका-- कलसुम पत्नी मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर, राज0

7/2- शाबीना पुत्री मकबूल पत्नी मुराद खां जाति चौहान निवासी नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

7/3- मोहसीना पुत्री मकबूल पत्नी युनूस खां जाति मुसलमान निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

7/4- इरफान पुत्र मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

7/5- अलताफ पुत्र मकबूल आयु-14 वर्ष
7/6- शाबीना पुत्री मकबूल आयु-11 वर्ष
जाति खत्री निवासी बलारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर जरिये प्राकृतिक भ्राता इरफान पुत्र मकबूल जाति खत्री निवासी बलारा तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

8- तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर बहैसियत भूमिधारक राज्य सरकार ।

--रेस्पोन्डेन्टस---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 6-5-2010 एवं अन्तिम
डिक्री दिनांक 19-7-2010 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।

----0----

उपस्थिति-

1-श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा एडवोकेट-अपीलान्ट

2-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी/रेस्पोडेन्ट संख्या--1 ने दावा बाबत बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बलारा में आराजी ख0नं0 16 रकबा 4.11 हैक्टर, ख0नं0 25 रकबा 9.89 हैक्टर, ख0नं0 214 रकबा 2.18 हैक्टर, ख0नं0 462 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 16.24 हैक्टर में वादीनी 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार है । जिसका बंटवारा कराना चाहती है। अतः वादीनी का 1/4 हिस्से की 4.06 हैक्टर भूमि का वादीनी का अलग खाता एवं लगान अलग से कायम किया जावे। योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव आने पर अन्तिम डिक्री जारी की । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने विवादित आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताकर अलग खाता एवं लगान अलग कायम करने का निवेदन किया । जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या- 2, 3, व 4 तथा उनकी माता मैना देवी (मृतक) का (मृतक) का 1/12 हिस्सा, राधेश्याम अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0-5 व सीताराम रेस्पोडेन्ट का 1/6 हिस्सा, सीताराम दत्तक पुत्र गोविन्दराम रेस्पोडेन्ट सं0-5 का 1/4 हिस्सा, श्यामसुन्दर दत्तक पुत्र परसाराम के 1/4 हिस्से में 0.77 हैक्टर हिस्सा

सुरेन्द्रपालसिंह पुत्र रणजीतसिंह तथा खसरा नं0 25 में मनोहरलाल अपीलान्ट सं0-2 का 1.64 हैक्टर हिस्सा दर्ज है । जिनका प्रत्येक खसरा नम्बर में हक हिस्सा है ।तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने जमाबन्दी में दर्ज आराजीयात का मौका अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में देखा गया है । अपीलान्ट को उक्त गलत विभाजन का मालूम चलने पर यह अपील पेश की गई । विभाजन प्रस्ताव पर बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से डिक्री पारित की है ।जमाबन्दी में बताये गये हिस्से के अनुसार नुरबानों वादिया का उक्त चारो खसरा नम्बरों में 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा वादीनी के बैयान पत्र मे अब भी उक्त चारो ख0नं0 में 1/4 हिस्सा है बैचा जाना अंकित है। किन्तु अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0-1 को खसरा नं0 25 में 1.0475 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है ।रेस्पो0 सं0-1 की जमाबन्दी जमाबन्दी के अनुसार 2.4725 हैक्टर होता है जबकि रेस्पो0 सं0-1 को इस खसरा में बंटवारे में 3.5200 हैक्टर रकबा दिया हैतथा खसरा नम्बर-16 में रेस्पोडेन्ट का हिस्सा है 1.0275 हैक्टर जिसमें कोई हिस्सा नहीं दिया तथा न ही खसरा नं0 462 में से दिया गया है । इस प्रकार अदालत मातहत ने केवल रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को फायदा देने की नियत से तथा रेस्पो0 सं0-2 से 7 को नुकशान पहुचाने की नियत से तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जिन पर बिना गोर किये आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जमाबन्दी में अपीलान्ट तथा उसके भाई सीताराम पुत्र हरचन्द का 1/6 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट का भाई सीताराम गोविन्दराम के गोद चला गया ।इससे अपीलान्ट अपने पिता हरचन्द के 1/6 हिस्से पर ख0नं0 25 में 1.6483 हैक्टर तथा खनं0 214 में 1.0583 हैक्टर पर अपीलान्ट काबिज है । तथा उक्त भूमि की काश्त करता आ रहा है। जिसका रेकार्ड दुरूस्ती का दावा अपीलान्ट करेगा ।उक्त खसरा नम्बरों में उक्तानुसार बंटवारे में भूमि नहीं देकर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट ने ख0नं0 25 में 1.6400 हैक्टर भूमि पर काश्त करता आ रहा है । अपीलान्ट संख्या-2 ने अपनी आराजी के ऊंची ऊंची डोल लगा रखी है तथा उसमें लगे पेडों पर उसका नाम अंकित है । किन्तु तहसीलदार ने इन तथ्यों को विभाजन प्रस्ताव में दर्ज न कर अपने प्रस्ताव

प्रस्ताव भिजवाये जिन पर अदालत मातहत ने बिना गोर किये रेस्पोन्डेन्ट संख्या -1 को नाजायज लाभ पंहुचाने के लिये यह आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है । बंटवारा प्रस्ताव में रास्तों काभी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को अदालत मातहत में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया । अपीलान्ट को बिना सूचना दिये अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैया की है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को ख0नं0 25 में जो कीमती जमीन है उसमें से 1.0475 हैक्टर भूमि अधिक दी है । जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का ख0नं0 25 में केवल 2.4725 हैक्टर हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार बनता है जबकि दिया गया है 3.5200 हैक्टर इस प्रकार बंटवारा जमाबन्दी दर्ज हिस्से के अनुसार न देकर अपनी मन की मर्जी से दिया गया है । ख0नं0 16 व 462 में रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 को कोई हिस्सा नहीं दिया गया । जबकि कानूनन सभी खसरा नम्बरों में से रेस्पोन्डेन्ट को 1/4 हिस्से के अनुसार खाता विभाजन करना चाहिये था । योग्य अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर महज तहसीलदार के विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव पर ही बिना सुने अन्तिम डिक्री जारी कर दी । इस प्रकार अदालत मातहत की प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री विधि विरूद्ध है । अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अदालत मातहत में मेरा दावा था कि उक्त विवादित आराजी में मेरा 1/4 हिस्सा है और1/4 हिस्से पर ही मैं काबिज हूँ अदालत मातहत ने उभयपक्षों की सुनवाई के बाद प्राथमिक डिक्री जारी की जिसमें विभाजन प्रस्ताव से पूर्व तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को नोटिस के द्वारा सूचना देकर मौके के विभाजन प्रस्ताव इनकी मौजूदगी में तैयार किये है विवादित आराजी में अन्य सहखातेदारों को कोई शिकायत नहीं है केवल अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है जो मुझे हैरान एवं परेशान करने की नियत से पेश की गई है ।मौके पर तहसीलदार ने मेरा 1/4 हिस्से पर कब्जा पाया है और कब्जे के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है । मेरा 1/4 हिस्सा 4.0600 हैक्टर बनता है और इतना ही रकबा मुझे दिया गया है ।अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2054 से 2057 में आराजी ख0नं0 16,25,214 एवं 462 कुल किता-4 रकबा 16.24 हैक्टर की खातेदारी नूरबानो पत्नी युसूफ खां हि0 1/4, मेवा बेवा भगवानदत्त, विनोद ओमप्रकाश सुरेन्द्र पि0 भगवानदत्त हि0 1/12 ब0हि0ब0 सीताराम, राधेश्याम पि0 हरचन्द हि0 1/6 ब0हि0ब0, सीताराम पि0मु0 गोविन्दराम हि0 1/4, श्यामसुन्दर पि0 मु0 परसाराम हि0 1/4 में से 0.77 ख0नं0 25 में से मनोहर पुत्र राधेश्याम 1.64 हैक्टर, मकबूल पुत्र भूरे खां ख0नं0 25 में से 1.64 हैक्टर का खातेदार दर्ज है ।जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का विवादित आराजी में 1/4 हि0 दर्ज है । रेस्पोडेन्ट का 1/4 हिस्से का रकबा 4.0600 हैक्टर होता है । तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव में ख0नं025 एवं 214 में से 4.0600 हैक्टर भूमि ही दी गई है जो मुताबिक राजस्व रेकार्ड है । अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति पर सुनवाई करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र को सारहिन होने से खारिज किया है तथा अपीलान्ट का आने जाने का

रास्ते का प्रावधान होने के कारण विभाजन प्रस्ताव को उचित मानते हुये अन्तिम डिक्री जारी की है जिससे स्पष्ट है। पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपना निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-5-2010 एवं 19-7-2010 को यथावत रखा जाता है । निर्णय की एक प्रति अपील सं0- 92/2010 राधेश्याम बनाम नूरबानों में संलग्न की जावे। इस अपील का निर्णय भी उक्तानुसार किया जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर